## :: आदेश ::

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश में कार्यरत बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों (प्रतिनियुक्ति सहित) को दीपावली के शुभ अवसर पर त्यौहार अग्रिम के रूप में निम्न धनराशि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिस पर 10% (दस प्रतिशत) वार्षिक ब्याज देय होगा।

अतः तद्नुसार प्रार्थित कर्मचारियों/अधिकारियों को उक्त अग्रिम भुगतान किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- | रू0 4000/- (चार हजार रूपये) |
| 2. | अन्य कर्मचारी/अधिकारी- | रू0 6000/- (छः हजार रूपये) |

प्रतिबन्ध-

1. उक्त अग्रिम का भुगतान प्रार्थित कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 31.10.2017 तक देय होगा। इसके पश्चात् देय नहीं होगा।
2. उक्त अग्रिम धनराशि का समायोजन ब्याज सहित चार मासिक किस्तों में प्रार्थित कर्मचारी/अधिकारी के मासिक वेतन से किया जायेगा। समायोजन माह नवम्बर 2017 के वेतन से प्रारम्भ किया जायेगा।
3. जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध त्यौहार अग्रिम बकाया है एवं समायोजन नहीं हुआ है, उनको इस अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि वह बकाये का भुगतान एकमुश्त कर देते हैं, तो उन्हें भी यह अग्रिम देय होगा।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक,

**उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।**

आदेशांक : 16329 /स्थापना/त्यौहार अग्रिम/2017-18 दिनांक : 04,10 ,2017

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

**1.** :: समस्त शाखा प्रबन्धक उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
**2.** :: समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
**3.** :: प्रबन्धक श्रेणी-3 (लेखा), प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
**4.** :: उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), प्र0 का0 लखनऊ को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
**5.** :: प्राचार्य (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
**6.** :: नोटिस बोर्ड हेतु।

04.x.17
(आर0बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक (प्रशासन),